



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246768
CG-DL-E-23062023-246768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]
No. 437]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ़ 1, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA 1, 1945

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

सं. 1-सीए(7)/201/2023—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का एक प्रारूप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 2 जून, 2022 में प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 2 जून, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और जनता से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 25ग और 25घ का लोप किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 25ड में,—

(क) उप विनियम (1) में, “भारत में” शब्दों के पश्चात्, “या भारत से बाहर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उप विनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत के बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए।”;

(ग) उप विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के आरंभ पर या उससे पूर्व विनियम 25ग के अधीन सामान्य प्रवीणता पाठ्यक्रम या फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए पहले से रजिस्टर कर लिया है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, फाउंडेशन पाठ्यक्रम में संपरिवर्तन के लिए पात्र होगा।

(4) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् विनियम 25च के अधीन फाउंडेशन पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु प्रथम प्रयास के लिए पात्र होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।”।

4. उक्त विनियमों के विनियम 25च में,—

(क) उप विनियम (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) उस मास की, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, पहली तारीख को या उससे पूर्व न्यूनतम चार मास की अवधि के लिए संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत है और उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, जिन्हें समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और” ;

(ii) खंड (ख) में, “भारत में” शब्दों के पश्चात्, “या भारत से बाहर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उप विनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत के बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए।”।

5. उक्त विनियमों के विनियम 28घ और 28ड का लोप किया जाएगा।

6. विनियम 28च और 28छ के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“28च. मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस—(1) चार्टर्ड अकाउंटेंसी अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रूप में नामित किया जाएगा, जो दो समूहों से मिलकर बनेगा, अर्थात् समूह I और समूह II।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन फाउंडेशन परीक्षा और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक (10+2) की परीक्षा या भारत से बाहर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु उक्त परीक्षा के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई किसी अन्य परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न कर लिया हो, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व प्रवेश परीक्षा या फाउंडेशन परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा - I) या सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, इस विनियम के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व पहले ही मध्यवर्ती पाठ्यक्रम या वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर कर लिया था, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, इस विनियम के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में संपरिवर्तन के लिए पात्र होगा।

(3) ऐसा कोई अभ्यर्थी भी, जिसने लागत और संकर्म लेखा अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारतीय लागत लेखा संस्थान या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली मध्यवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा।

(4) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाला व्यक्ति उस समय मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा, यदि ऐसा व्यक्ति—

(क) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता रखता है और जिसने निम्नलिखित विषयों, अर्थात् लेखांकन, संपरीक्षा, व्यापारिक विधि, निगम विधि, अर्थशास्त्र, प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन सहित), कराधान (जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर विधि और अप्रत्यक्ष कर विधि भी है), लागत, कारबार प्रशासन या प्रबंध लेखांकन या इन विषयों के शीर्षक के तत्समान भिन्न-भिन्न नामों वाले अन्य ऐसे विषयों, जिन्हें संस्थान के अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, में से संबद्ध पाठ्यक्रम की संपूर्ण कालावधि में किन्हीं तीन विषयों, जिनके प्रत्येक समिस्टर में न्यूनतम पचास अंक या एक वर्ष में और समग्र रूप से एक सौ या अधिक अंक हैं, का अध्ययन करते हुए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा संचालित परीक्षा में कुल अंकों में से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड को प्राप्त किया है ; या

(ख) खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता से भिन्न अर्हता रखता है और उसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा संचालित परीक्षा में कुल अंकों में से न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड को प्राप्त किया है।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए -

(i) अंकों के प्रतिशत की संगणना के लिए, उन विषयों में प्राप्त अंकों, जिनमें किसी अभ्यर्थी से विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं) द्वारा केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है और जिनमें उच्चतर अंकों के लिए कोई विशेष क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाता, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) आधे या अधिक के किसी भी अर्द्धांक को अगले पूर्णांक के रूप में गणना में लिया जाएगा और आधे अंक से कम के किसी अर्द्धांक पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(5) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो किसी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के फाइनल वर्ष का अध्ययन कर रहा है, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करने से पूर्व इस प्रभाव का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत किए जाने पर की जाएगी कि उसने उपविनियम (4) में यथा उपबंधित न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है :

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करने से पूर्व उपविनियम (4) में यथा उपबंधित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाएगा और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए,—

(i) उसे उसके द्वारा पूरी की गई सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) परिषद् ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जो इस विनियम में यथा निर्दिष्ट समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस की ऐसी रकम का प्रतिदाय करने की अनुमति दे सकेगी जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या इससे पूर्व अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिया गया है, से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए और जो फाइनल वर्ष की स्नातक परीक्षा में बैठने की तारीख से छह मास से अधिक की नहीं होगी, के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करे :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्वोक्त अवधि के भीतर सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसके अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाएगा और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए—

(i) उसे उसके द्वारा पूरी की गई सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा ; और

(ii) परिषद् ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जो इस विनियम में यथा निर्दिष्ट समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस की ऐसी रकम का प्रतिदाय करने की अनुमति दे सकेगी जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए :

(6) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई अभ्यर्थी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए।

(7) इस विनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके रजिस्ट्रीकरण या संपरिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, पांच वर्ष की आगे और अवधि के लिए केवल एक बार पुनः विधिमान्यकरण के लिए पात्र होगा।

28छ. मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश, फीस और पाठ्यचर्या—(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं है और उसने इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने उस मास की पहली तारीख को, जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा किया है, जैसा कि परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु कोई अभ्यर्थी, जो विनियम 28च के उप-विनियम (4) के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा :-

(क) वह इस प्रभाव का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि उसने कम से कम आठ मास की अवधि के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया है ; और

(ख) उसने मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने से पूर्व उक्त विनियम में यथा उपबंधित न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत कर दिया है।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व मध्यवर्ती पाठ्यक्रम या वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) या मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकृत था, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मध्यवर्ती परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

(3) मध्यवर्ती परीक्षा का कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(4) मध्यवर्ती परीक्षा के किसी अभ्यर्थी की परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा ली जाएगी।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 29 में,—

(क) उप-विनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।";

(ख) उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) इस विनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण या संपरिवर्तन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, दस वर्ष की आगे और अवधि के लिए केवल एक बार पुनः विधिमाम्यकरण के लिए पात्र होगा।”।

8. विनियम 29ख और 29ग का लोप किया जाएगा।

9. उक्त विनियमों के विनियम 29घ में,—

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“(1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक फाइनल परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि,—

(i) वह फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत न हो और उसने विनियम 28छ के अधीन आयोजित मध्यवर्ती परीक्षा के दोनों समूहों को उत्तीर्ण न कर लिया हो ;

(ii) उसने उस मास की पहली तारीख से, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, कम से कम छह मास पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश हेतु यथाअपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा न कर लिया हो ;

(iii) उसने विनियम 51ड के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा न कर लिया हो ;

(iv) उसने विनियम 51च के अनुसार स्व-गतिमान ऑनलाइन मॉड्यूलों को उत्तीर्ण न कर लिया हो ; और

(v) उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं को ऐसी रीति में पूरा न कर लिया हो, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।”;

(ख) स्पष्टीकरण में, “संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व” शब्दों के स्थान पर, “और संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व विनियम 51च के अनुसार स्व-गतिमान ऑनलाइन मॉड्यूलों को उत्तीर्ण और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का ऐसी रीति में, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुपालन करेगा” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

10. उक्त विनियमों के विनियम 30 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत के बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए”।

11. उक्त विनियमों के विनियम 31 में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(v) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनियम 28च के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम हेतु नामांकन प्रारंभ होने के पश्चात् समय-समय पर परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार।”।

12. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, “इलेक्ट्रॉनिक रूप से या” शब्दों का लोप किया जाएगा।

13. उक्त विनियमों के विनियम 36क का लोप किया जाएगा।

14. उक्त विनियमों के विनियम 37ग का लोप किया जाएगा।

15. उक्त विनियमों के विनियम 37घ में,—

(क) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) किसी अभ्यर्थी को सामान्यतः उस समय मध्यवर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह समूह 1 और समूह 2, दोनों को उत्तीर्ण कर लेता है।”;

(ख) उप-विनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उप-विनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(9) यदि किसी अभ्यर्थी ने, उप-विनियम (8) के अधीन उसे मंजूर की गई छूट की अवधि को पूरा कर लिया है और वह उक्त समूह या यूनिट को उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं था तो वह पश्चात्वर्ती परीक्षाओं के लिए उक्त छूट को जारी रखने का विकल्प ले सकेगा :

परंतु ऐसे अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में से प्रत्येक में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसके संबंध में यह घोषणा की जा सके कि उसने उस समूह या यूनिट को उत्तीर्ण कर लिया है।

(10) परिषद् ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्नों को अंतर्विष्ट करने वाले किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में ऋणात्मक अंकों के मानदंड को अंगीकृत कर सकेगी।”।

16. विनियम 38ख और 38ग का लोप किया जाएगा।

17. उक्त विनियमों के विनियम 38घ के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"38घ. फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं—(1) कोई अभ्यर्थी समूह 1 या समूह 2 या किसी ऐसी यूनिट की परीक्षा में एक साथ बैठ सकेगा जिसमें समूह 1 या समूह 2 के प्रश्न-पत्रों का एक सेट सम्मिलित है या किसी एक परीक्षा में एक समूह या यूनिट की परीक्षा में बैठ सकेगा और शेष समूह या यूनिट के लिए वह किसी पश्चातवर्ती परीक्षा में बैठ सकेगा और सामान्यतः उसके संबंध में उस समय यह घोषणा की जाएगी कि उसने अंतिम परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है यदि वह दोनों समूहों को उत्तीर्ण कर लेता है।

(2) किसी अभ्यर्थी के संबंध में सामान्यतः यह घोषित किया जाएगा कि उसने, यथास्थिति, दोनों समूहों या यूनिटों को एक साथ उत्तीर्ण कर लिया है, यदि वह—

(क) समूहों या यूनिटों के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम एक प्रयास में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और समूहों या यूनिटों में से प्रत्येक के सभी प्रश्न-पत्रों में कुल न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ; या

(ख) समूहों या यूनिटों के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम एक प्रयास में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और समूहों या यूनिटों को एकसाथ लिए जाने पर उनमें से प्रत्येक के सभी प्रश्न-पत्रों में कुल न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(3) किसी अभ्यर्थी को किसी समूह/यूनिट में उस समय उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक ही प्रयास में उस समूह/यूनिट के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है और उस समूह/यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है।

(4) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने विनियम 31 के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन फाइनल परीक्षा के किसी एक और न कि दोनों समूहों/यूनिटों को उत्तीर्ण किया है या जिसने सुसंगत समय पर प्रवृत्त चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1964 की अनुसूची खख के पैरा 3 के अधीन फाइनल परीक्षा (1 जनवरी 1985 के पश्चात् दो समूहों/यूनिटों संबंधी स्कीम) को उत्तीर्ण किया है, उस विशिष्ट समूह/यूनिट में छूट के लिए पात्र होगा और उससे यह अपेक्षित होगा कि वह फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए शेष समूह/यूनिट की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण करे।

(5) परिषद् किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में छूट प्रदान किए जाने को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी यदि ऐसी कोई छूट पूर्व में विनियम 31 के खंड (iv) के अधीन अनुमोदित पाठ्यचर्या के अधीन आयोजित परीक्षा में उपयोग न किए गए तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों, जिनमें उसने छूट अर्जित की है, में छूट के अवसर या अवसरों का उस समय फायदा ले सके, यदि तत्समान प्रश्न-पत्र विनियम 31 के खंड (v) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित फाइनल परीक्षा की नई पाठ्यचर्या में विद्यमान है।

(6) ऐसे तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों की, जिन्हें उत्तीर्ण करने में वह असफल रहा है, परीक्षाओं में बैठने पर उसे उक्त परीक्षाओं में उस समय उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक प्रयास में ऐसे तत्समान प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वह पूर्व में उत्तीर्ण होने में असफल रहा था, न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और समूह के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों के अंक भी हैं, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई थी।

(7) उप-विनियम (1) से (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभ्यर्थी, जो किसी समूह या यूनिट में सम्मिलित सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षाओं में बैठा है और वह एक या अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण हुआ है, जो किसी समूह में सम्मिलित है किंतु उसने उस समूह के किसी प्रश्न-पत्र या किन्हीं प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों की, जिनमें उसने साठ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, आगामी तीन परीक्षाओं में किसी एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होगा :

परंतु उसे उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक ही प्रयास में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह या यूनिट के सभी प्रश्न-पत्रों के कुल अंकों के न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करता है, जिनमें ऐसे प्रश्न-पत्र भी सम्मिलित हैं, जिनमें उसने ऊपर निर्दिष्ट की गई पूर्ववर्ती परीक्षा में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे :

परंतु यह और कि वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में तब तक आगे किसी और छूट के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने उस समूह या यूनिट में उसे पहले से मंजूर की गई छूट का पूर्ण फायदा न उठा लिया हो।

(8) यदि किसी अभ्यर्थी ने उप विनियम (7) के अधीन उसे मंजूर की गई छूट का पूर्ण फायदा उठा लिया है और वह उक्त समूह या यूनिट को उत्तीर्ण करने में सफल नहीं हो सका है तो वह पश्चातवर्ती परीक्षाओं में उक्त छूट को जारी रखने का विकल्प ले सकेगा :

परंतु ऐसे अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस समूह या यूनिट के शेष प्रश्न-पत्रों में से प्रत्येक में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसे उस समूह या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जा सके।

(9) परिषद् ऐसे किसी प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों में, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, ऐसी रीति में ऋणात्मक अंकन के मानदंड को अपना सकेगी, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

18. विनियम 39 के उप-विनियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) प्रत्येक परीक्षा के परिणाम को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यह उपदर्शित किया जाएगा कि क्या कोई अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सफल रहा है अथवा असफल रहा है ;"

19. विनियम 40 में, उप-विनियम (1) में, "लेखांकन तकनीकी स्तर" शब्दों का लोप किया जाएगा।

20. उक्त विनियमों के विनियम 40 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"40क. कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र— (1) कोई अभ्यर्थी कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र के लिए उस समय पात्र होगा, यदि उसने—

(क) मध्यवर्ती परीक्षा के समूह 1 और समूह 2, दोनों को उत्तीर्ण कर लिया है ;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ;

(ग) इन विनियमों में यथा उपबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है ; और

(घ) इन विनियमों में यथा उपबंधित स्वःगतिमान आनलाइन माड्यूलों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

(2) कोई अभ्यर्थी, कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित प्ररूप में एक आवेदन के साथ समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली फीस का संदाय करेगा जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(3) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व या तो मध्यवर्ती परीक्षा या मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा II परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, ऐसी अन्य अपेक्षाओं, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, को पूरा किए जाने पर कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(4) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, कारबार लेखांकन सहबद्ध प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकेगा।

21. उक्त विनियमों के विनियम 45 के उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (क) में, "विनियम 43" शब्द और अंकों के पश्चात्, "को ध्यान में रखते हुए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (i) में, "या तो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

22. उक्त विनियमों के विनियम 48 के उप-विनियम (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

आर्टिकल सहायक की सेवा के सामान्य स्थान का वर्गीकरण	प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	दूसरे वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) बीस लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहर/नगर	रु.4000/-	रु.5000/-	रु.6000/-
(ii) पांच लाख और उससे अधिक किंतु बीस लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर/नगर	रु.3000/-	रु.4000/-	रु.5000/-
(iii) पांच लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर/नगर	रु.2000/-	रु.3000/-	रु.4000/-

23. उक्त विनियमों के विनियम 50 में,-

- (i) खंड (i) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ या उससे पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए आर्टिकल सहायक के रूप में रजिस्टर किया गया था, प्रशिक्षण के जारी रहने में आए किसी व्यवधान पर ध्यान न देते हुए इन विनियमों के अधीन निष्पादित आर्टिकल विलेख के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण की शेष अवधि को जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए पात्र होगा।"

24. उक्त विनियमों के विनियम 51 में,-

- (i) उप-विनियम (1), (4) और (9) में, "अठारह मास" शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उप-विनियम (11) में, "औद्योगिक प्रशिक्षण" शब्दों के पश्चात्, " न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (iii) उप-विनियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"12. इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई आर्टिकल सहायक, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व पहले ही औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, उपविनियम (6) के अधीन निष्पादित प्रशिक्षण करार के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण की शेष अवधि को जारी रखने और पूरा करने के लिए पात्र होगा।"

25. उक्त विनियमों के विनियम 51ड के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"51ड. सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम—(1) कोई आर्टिकल सहायक विनियम 50 के खंड (i) के अनुसार अपने व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने के पश्चात् किंतु फाइनल परीक्षा में बैठने से पूर्व ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेगा।

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत कोई आर्टिकल सहायक निरंतरता में कोई अंतराल लाए बिना अपने व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम दो वर्षों के दौरान ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी अभ्यर्थी से, जिसने फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किंतु इन विनियमों के अधीन साधारण प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम और सूचना कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करे।”।

26. उक्त विनियमों के विनियम 51ड के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"51च स्व:गतिमान ऑनलाइन मॉड्यूल—(1) ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसने मध्यवर्ती परीक्षा के दोनों समूहों को उत्तीर्ण कर लिया है, से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उतनी संख्या में माड्यूलों को सम्मिलित करने वाले और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, स्व:गतिमान ऑनलाइन माड्यूलों को पूरा करेगा और उन्हें उत्तीर्ण करेगा।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी के संबंध में उस समय यह घोषणा की जाएगी कि उसने स्व:गतिमान ऑनलाइन माड्यूलों को उत्तीर्ण कर लिया है यदि वह प्रत्येक माड्यूल में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।”।

27. उक्त विनियमों के विनियम 54 के उप-विनियम (5) में, "अठारह" शब्द के स्थान पर, "बारह" शब्द रखा जाएगा।

28. उक्त विनियमों के विनियम 54क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"54कक. भारत से बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी का व्यवहारिक प्रशिक्षण—(1) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो भारत से बाहर निवास कर रहा है और इन विनियमों के अधीन फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किन्हीं अन्य लेखांकन संस्थानों या निकायों के पात्र सदस्यों के अधीन ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण कर सकेगा।

(2) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने उपविनियम (1) के अधीन अपना व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है, तब तक सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे अन्य मानदंडों को पूरा न कर लिया हो, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।”।

29. उक्त विनियमों के विनियम 56 के उप-विनियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसे प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में, आर्टिकलड सहायक और मालिक के बीच किसी करार के माध्यम से इस प्रकार नियोजित आर्टिकल्स के नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा और प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष में उनके नियोजन को समाप्त करने की उस समय अनुमति दी जाएगी, यदि आर्टिकलड सहायक औद्योगिक प्रशिक्षण का विकल्प लेता है या ऐसी आपवादिक परिस्थितियों और स्थिति में अनुमति दी जाएगी, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।”

30. उक्त विनियमों के विनियम 59 में,—

(i) उक्त विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) कोई आर्टिकलड सहायक अपने व्यवहारिक प्रशिक्षण के प्रत्येक वर्ष में बारह दिन की छुट्टी के लिए पात्र होगा।”;

(ii) उप-विनियम (2), (4) और (5) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-विनियम (7) के स्पष्टीकरण में, -

(क) खंड (1) में, "सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम और साधारण प्रबंध और संसूचना कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम" शब्दों के स्थान पर "विनियम 51ड के अधीन पाठ्यक्रम" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण (2) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) ऐसा कोई आर्टिकल्ड सहायक, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 के आरंभ पर या उससे पूर्व पहले से रजिस्ट्रीकृत है, इस विनियम के ऐसे उपबंधों से शासित होता रहेगा, जो उसके संशोधन से पूर्व प्रवृत्त थे और साथ ही वह इन विनियमों के अधीन निष्पादित आर्टिकल विलेख के अनुसार शासित होगा ।"

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./217/2023-24]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 को अधिसूचना संख्या 1-सीए (7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/198/2021, तारीख 4 मार्च, 2022 के माध्यम से किया गया था ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

No.1-CA(7)/201/2023.—WHEREAS certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988 were published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 2nd June, 2022, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 2nd June, 2022;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 (*hereinafter referred to as the said regulations*), regulations 25C and 25D shall be omitted.

3. In regulation 25E of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), after the words “by law in India”, the words “or outside India” shall be inserted;

(b) in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.”;

(c) after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely: —

“(3) A candidate who was already registered for the Common Proficiency Course under regulation 25C or Foundation Course, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be eligible for conversion to the Foundation Course subject to such conditions as may be specified by the Council.

(4) The registration for the Foundation Course shall be valid only for a period of four years from the date of first eligible attempt in the Foundation Examination under regulation 25F after the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023”.

4. In regulation 25F of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), —

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

“(a) is registered with the Board of Studies of the Institute for a minimum period of four months on or before the 1st day of the month in which the examination is held and has complied with such other requirements as may be specified by the Council from time to time; and”;

(ii) in clause (b), after the words “by law in India”, the words “or outside India” shall be inserted;

(b) in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.”.

5. Regulations 28D and 28E of the said regulations shall be omitted.

6. For regulations 28F and 28G of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely: —

“28F. Registration for Intermediate Course and Fees. — (1) The study course for the chartered accountancy candidates shall be named as Intermediate Course, which shall be composed of two Groups viz. Group I and Group II.

(2) No candidate shall be registered for the Intermediate Course unless he has passed the Foundation Examination under these regulations and Senior Secondary (10+2) examination conducted by an examining body constituted by law in India or outside India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course and has complied with such other requirements as may be specified by the Council from time to time:

Provided that a candidate who has passed the Entrance Examination or the Foundation Examination or the Professional Education (Examination – I) or the Common Proficiency Test, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be eligible for registration to the Intermediate Course under this regulation subject to such conditions as may be specified by the Council:

Provided further that a candidate who was already registered for the Intermediate Course or Professional Education (Course-II) or the Intermediate (Professional Competence) Course or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be eligible for conversion to Intermediate Course under this regulation subject to such conditions as may be specified by the Council.

(3) A candidate who has passed the Intermediate Examination conducted by the Institute of Cost Accountants of India set up under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) or by the Institute of Company Secretaries of India set up under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) shall also be eligible for registration to the Intermediate Course.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), a graduate or post graduate shall be eligible for registration to the Intermediate Course, if such person is—

(a) a graduate or post-graduate in commerce having secured in aggregate a minimum of fifty-five per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised university (including Open University) by studying any three papers each carrying a minimum of fifty marks in a semester or year and cumulatively hundred or more marks over the entire duration of the concerned course, out of the subjects i.e., Accounting, Auditing, Mercantile laws, Corporate laws, Economics, Management (including Financial Management), Taxation (including Direct Tax Laws and Indirect Tax Laws), Costing, Business Administration or Management Accounting or similar to the title of these papers with different nomenclatures, as approved by the Board of Studies of the Institute; or

(b) a graduate or post graduate other than those referred to in clause (a), having secured in aggregate a minimum of sixty per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised university (including Open University).

Explanation. —For the purpose of this sub-regulation,—

(i) for calculating the percentage of marks, the marks secured in subjects in which a person is required by the University (including Open University) to obtain only pass marks and for which no special credit is given for higher marks, shall be ignored; and

(ii) any fraction of half or more shall be rounded up to the next whole number and any fraction of less than half number shall be ignored.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), a candidate who is pursuing the final year of graduation or post-graduation course shall be eligible for provisional registration to the Intermediate Course which shall be confirmed only on submission of satisfactory proof of having passed the graduation or post-graduation examination with the minimum marks as provided in sub-regulation (4) before making the application for admission to the Intermediate Examination:

Provided that if a candidate fails to secure minimum marks as provided in sub-regulation (4) before making the application for admission to the Intermediate Examination, his provisional registration shall be cancelled and for the purpose of these regulations—

(i) no credit shall be given for the theoretical education undergone; and

(ii) the Council may on receipt of an application from a candidate who is unable to produce the satisfactory proof referred to in this regulation, permit refund of such amount of registration and tuition fee, as may be decided by it from time to time:

Provided further that a candidate who has already been granted the provisional registration on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023 shall be required to submit the satisfactory proof of having passed the graduation examination within such period not exceeding six months as may be decided by the Council, from the date of appearance in the final year graduation examination:

Provided also that if a candidate fails to produce the proof within the aforesaid period, his provisional registration shall be cancelled and for the purpose of these regulations—

(i) no credit shall be given for the theoretical education undergone; and

(ii) the Council may on receipt of an application from a candidate who is unable to produce the satisfactory proof referred to in this regulation, permit refund of such amount of registration and tuition fee, as may be decided by it from time to time.

(6) A candidate for registration for the Intermediate Course shall pay such fees as may be fixed by the Council which shall not exceed twenty-five thousand rupees along with his application in the form as may be approved by the Council:

Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(7) The registration of a candidate under this regulation shall be valid for a period of five years from the date of registration or conversion on or after the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023.

Provided that a candidate shall be eligible for a one time re-validation for a further period of five years on his making an application in the form approved by the Council and on payment of such fee as may be fixed by the Council from time to time.

28G. Admission to Intermediate Examination, Fees and Syllabus.— (1) No candidate shall be admitted to the Intermediate Examination unless he is registered with the Board of Studies of the Institute and produces a certificate to the effect that he has undergone a study course for such period and in such manner as may be specified by the Council from time to time as on the first day of the month in which the examination is held:

Provided that a candidate who is registered for the Intermediate Course under sub-regulation (4) of regulation 28F shall be eligible for admission to the Intermediate Examination on fulfilling of the following criteria: —

(a) production of a certificate to the effect that he has undergone a study course for a period of not less than eight months; and

(b) submission of satisfactory proof of having passed the graduation or post-graduation examination with the minimum marks as provided in the said regulation before making the application for admission to the Intermediate Examination.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who was registered for the Intermediate Course or Professional Education (Course-II) or Intermediate (Professional Competence) Course or the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be eligible for admission to the Intermediate Examination subject to such conditions as specified by the Council.

(3) A candidate for the Intermediate examination shall pay such fees, as may be fixed by the Council from time to time, which shall not exceed ten thousand rupees:

Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(4) A candidate for the Intermediate Examination, shall be examined as per the syllabus approved by the Council from time to time.”.

7. In regulation 29 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.”;

(b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: —

“(3) The registration of a candidate under this regulation shall be valid for a period of ten years from the date of registration or conversion on or after the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023.

Provided that a candidate shall be eligible for re-validation for a further period of ten years on his making an application in the form approved by the Council and on payment of such fee as may be fixed by the Council from time to time.”.

8. Regulations 29B and 29C shall be omitted.

9. In regulation 29D of the said regulations, —

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(1) No candidate shall be admitted to the Final Examination, unless he—

(i) is registered for the Final Course and has passed both the Groups of the Intermediate Examination held under regulation 28G;

(ii) has completed the practical training as required for admission as a member at least six months before the 1st day of the month in which the examination is held;

(iii) has successfully completed advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills under regulation 51E;

(iv) has passed the self-paced online modules as per regulation 51F; and

(v) has complied with such other requirements in such manner as may be specified by the Council from time to time.”;

(b) in the *Explanation*, for the word “before applying for membership of the Institute”, the words, figure and letter “and to pass the self-paced online modules under regulation 51F, and to comply with such other requirements in such manner as may be specified by the Council from time to time before applying for membership of the Institute.” shall be substituted.

10. In regulation 30, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.”.

11. In regulation 31, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: —

“(v) as per the syllabus approved by the Council from time to time after commencement of enrolment to Intermediate Course under regulation 28F on or after the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023”.

12. In regulation 32 of the said regulations, the words “electronically or” shall be omitted.

13. Regulation 36A of the said regulations shall be omitted.

14. Regulation 37C of the said regulations shall be omitted.

15. In regulation 37D of the said regulations, —

(a) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Intermediate Examination, if he passes in both Group I and Group II.”;

(b) sub-regulation (3) shall be omitted.

(c) after sub-regulation (8), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(9) If a candidate has exhausted the exemption granted to him under sub-regulation (8) and he was not able to pass the said Group or Unit, he may opt for the continuing of said exemption to the subsequent examinations:

Provided that such candidate shall be required to obtain a minimum of fifty per cent. marks in each of the remaining paper or papers of that Group or Unit in order to declare him to have passed in that Group or Unit.

(10) The Council may adopt the criteria of negative marking in a paper or papers having objective type questions in such manner as may be specified by it from time to time.”.

16. Regulations 38B and 38C of the said regulations shall be omitted.

17. For regulation 38D of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: —

“38D. Requirements for passing Final Examination.— (1) A candidate may appear in Group I or Group II or in a Unit comprising of a set of papers of Group I or Group II simultaneously or one Group or Unit in one examination and the remaining Group or Unit at any subsequent examination and shall ordinarily be declared to have passed the Final Examination if he passes in both the Groups.

(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the Groups or Units, as the case may be, simultaneously, if he—

(a) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of each of the Groups or Units and minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the Groups or Units; or

(b) secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of both the Groups or Units and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the Groups or Units taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a Group or Unit if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each paper of the Group or Unit and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that Group or Unit.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the Groups or Units of the Final Examination under the syllabus approved by the Council under regulation 31 or of the Final Examination as per the syllabus under paragraph 3 or 3A of Schedule B to these regulations or paragraph 3 of Schedule BB to the Chartered Accountants Regulations, 1964 (two Groups or Units scheme after January 1, 1985) enforced at the relevant time shall be eligible for exemption in that particular Group or Unit and shall be required to appear and pass in the remaining Group or Unit in order to pass the Final Examination.

(5) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier under the syllabus approved under clause (iv) of regulation 31 for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers in which he had secured exemption, if the corresponding paper or papers exist in the new syllabus of the Final Examination approved by the Council under clause (v) of regulation 31.

(6) On appearing in the examination of the corresponding paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in the corresponding paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of the Group or Unit including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (6), a candidate who has appeared in all the papers comprised in a Group or Unit and fails in one or more papers comprised in a Group or Unit but secures a minimum of sixty per cent. marks in any paper or papers of that Group or Unit shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than sixty per cent. Marks:

Provided that he shall be declared to have passed in that Group or Unit, if he secures at one sitting a minimum of forty per cent. marks in each of such papers and a minimum of fifty per cent. of the total marks of all papers of that Group or Unit including the paper or papers in which he had secured a minimum of sixty per cent. marks in the earlier examination referred to above:

Provided further that he shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper or papers of that Group or Unit until he has exhausted the exemption already granted to him in that Group or Unit.

(8) If a candidate has exhausted the exemption granted to him under sub-regulation (7) and he was not able to pass the said Group or Unit, he may opt for the continuing of said exemption to the subsequent examinations:

Provided that such candidate shall be required to obtain a minimum of fifty per cent. marks in each of the remaining paper or papers of that Group or Unit in order to declare him to have passed in that Group or Unit.

(9) The Council may adopt the criteria of negative marking in a paper or papers having objective type questions in such manner as may be specified by it from time to time.”

18. In regulation 39, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

“(a) The result of each examination indicating whether a candidate has been successful or unsuccessful in the said examination shall be made available on the website of the Institute;”.

19. In regulation 40, in sub-regulation (1), the words “Accounting Technical Level” shall be omitted.

20. After regulation 40 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely: —

“40A. Business Accounting Associate Certificate. — (1) A candidate shall be eligible for Business Accounting Associate Certificate, if he—

- (a) passes both Group I and Group II of the Intermediate Examination;
- (b) successfully completes Integrated Course on Information Technology and Soft Skills;
- (c) completes the practical training as provided in these regulations; and
- (d) successfully completes the self-paced online modules as provided in these regulations.

(2) A candidate shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time which shall not exceed five thousand rupees, along with an application in the form approved by the Council for the grant of Business Accounting Associate Certificate:

Provided that a candidate who is residing outside India shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(3) A candidate, who has passed either the Intermediate Examination or Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination or Integrated Professional Competence Examination or Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Competence Examination or Professional Education-II Examination, on or before the

commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, and was eligible for Accounting Technician Certificate, shall be eligible for making an application for Business Accounting Associate Certificate on fulfilling such other requirements as may be specified by the Council, from time to time.

(4) A candidate may apply for Business Accounting Associate Certificate on fulfilment of the criteria as specified by the Council from time to time.”.

21. In regulation 45 of the said regulations, in sub-regulation (1), —

(i) in clause (a), after the word and figures “regulation 43,”, the words “having regard to” shall be inserted;

(ii) in clause (b), in sub-clause (i), the words “either or” shall be omitted.

22. In regulation 48 of the said regulations, in sub-regulation (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Classification of the Normal place of service of the articled assistant	During the first year of training	During the second year of training	During the third year of training
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Cities/Towns having population of twenty lakhs and above	Rs.4000/-	Rs.5000/-	Rs.6000/-
(ii) Cities/Towns having population of five lakhs and above but less than twenty lakhs	Rs.3000/-	Rs.4000/-	Rs.5000/-
(iii) Cities/Towns having a population of less than five lakhs	Rs.2000/-	Rs.3000/-	Rs.4000/- ”.

23. In regulation 50 of the said regulations, —

(i) in clause (i), for the words “three years”, the words “two years” shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

“Provided that a candidate who was registered as an articled assistant for a period of three years, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be eligible to continue and complete the remaining period of practical training as per the deed of articles executed under these regulations irrespective of any break in the continuity of training.”.

24. In regulation 51 of the said regulations, —

(i) in sub-regulations (1), (4) and (9), for the words “eighteen months” at all the places where they occur, the words “twelve months” shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (11), after the words, “industrial training”, the words “subject to a minimum of fifteen thousand rupees per month” shall be inserted;

(iii) after sub-regulation (11), the following sub-regulation, shall be inserted, namely: —

“(12) Notwithstanding anything contained in this regulation, an articled assistant who is already undergoing industrial training, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall be eligible to continue and complete the remaining period of industrial training as per agreement of training entered into under sub-regulation (6).”.

25. For regulation 51E of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: —

“51E. Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills.— (1) An articled assistant shall undergo an Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills for such duration and in such manner as may be specified by the Council from time to time after completing the period of his practical training as per clause (i) of regulation 50 but before appearing in the Final examination.

(2) An articled assistant, registered on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall undergo an Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills for such duration and in such manner as may be specified by the Council from time to time, during the last two years of his practical training without any break in continuity.

(3) A candidate who has passed the Final Examination but not completed the Course on General Management and Communication Skills under these regulations, shall be required to complete the Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills before applying for membership of the Institute.”.

26. After regulation 51E of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely: —

“51F. Self-paced online modules.— (1) A candidate who has passed both the Groups of the Intermediate Examination shall be required to undergo and pass self-paced online modules consisting of such number of modules and in such manner as may be specified by the Council from time to time.

(2) A candidate shall be declared to have passed in the self-paced modules if he obtains a minimum of fifty per cent. marks in each module.”.

27. In regulation 54 of the said regulations, — in sub-regulation (5), for the word “eighteen”, the word “twelve” shall be substituted;

28. After regulation 54A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely: —

“54AA. Practical Training of a candidate residing outside India.— (1) A candidate who is residing outside India, and registered for Final Course under these regulations, may undergo the practical training for the purposes of these regulations under an eligible member of such other accounting institutions or bodies outside India recognised by the International Federation of Accountants in such manner as may be determined by the Council from time to time.

(2) A candidate who has completed his practical training under sub-regulation (1) shall not be entitled to have his name entered in the register of members unless he has fulfilled such other criteria as may be specified by the Council from time to time.”.

29. In regulation 56 of the said regulations, in sub-regulation (1), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

“Provided that in the first year of such training, the articles so engaged may, by agreement between the articulated assistant and his principal, be terminated and during the second year of training, the termination of articles shall be permitted if the articulated assistant opts for industrial training or under such exceptional circumstances or conditions, as may be decided by the Council.”.

30. In regulation 59 of the said regulations, —

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(1) An articulated assistant shall be eligible for leave of twelve days in each year of his practical training.”;

(ii) sub-regulations (2), (4) and (5) shall be omitted;

(iii) in sub-regulation (7), in the *Explanation*, —

(a) in clause (1), for the words “Course on Information Technology Training, and Course on General Management and Communication Skills”, the words, figure and letter “course under regulation 51E” shall be substituted;

(b) clause (2) shall be omitted;

(iv) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(8) An articulated assistant who is already registered, on or before the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023, shall continue to be governed by the provisions of this regulation which were in force prior to their amendment and as per the deed of articles executed under these regulations.”.

CA. (DR.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./217/2023-24]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide Notification number 1-CA(7)/134/88, dated the 1st June, 1988 and lastly amended vide Notification No. 1-CA(7)/198/2021, dated the 4th March, 2022.